

कार्यालय आयुक्त गुरुद्वारा निर्वाचन, हरियाणा,
प्लॉट नं० 9, प्रथम तल, डी.एच.एल. स्केयर,
सेक्टर-22, पंचकुला

Telephone: 0172-4004268

Email: gurdwaraelectionhry@gmail.com

आम सूचना

हरियाणा राज्य में रहने वाले सभी सिखों को इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के चुनाव के लिए मतदाता सूची इस कार्यालय द्वारा उपायुक्तों के माध्यम से तैयार करवाई जाएगी। मतदाता सूची तैयार करने के लिए नाम पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र ग्रामीण क्षेत्र में पटवारी और शहरी क्षेत्र में नगरपालिका समिति / परिषद / निगम के सचिव के पास निःशुल्क उपलब्ध हैं। कोई भी व्यक्ति जो हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति की मतदाता सूची के लिए अपना नाम पंजीकृत कराना चाहता/चाहती है तो वह उपरोक्त अधिकारी को 01.09.2023 से 30.09.2023 तक अपना आवेदन जमा कर सकता है। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति की मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए आवश्यक योग्यता निम्नानुसार दी गई हैं:-

कोई भी व्यक्ति जो-

1. मतदाता के रूप में पंजीकरण के समय पर कम-से-कम पिछले 6 मास से उस वार्ड का सामान्य निवासी है।
2. जो (दिनांक 01.01.2023 को) कम-से-कम 18 वर्ष की आयु का सिख हो।

यह भी सूचित किया जाता है कि जो व्यक्ति पतित हैं या अपनी दाढ़ी या केश काटता है, धूम्रपान करता है, कुथा (हलाल मांस) का प्रयोग करता है या शराब पीता है, वोटर के योग्य नहीं होगा / होगी।

नोट:- दिनांक 21.08.2023 को अमर उजाला, दैनिक भास्कर तथा दैनिक जागरण समाचार पत्रों में इस संबंध में प्राकाशित विज्ञापन (आम सूचना) को टाईपिंग त्रुटि के कारण वापिस लिया गया समझा जाए।

जस्टिस एच. एस. भल्ला

आयुक्त, गुरुद्वारा चुनाव, हरियाणा

PRDH-1147/11/3/2024/20604/67/4

दैनिक जागरण

29 August, 2023

कार्यालय आयुक्त गुरुद्वारा निर्वाचन, हरियाणा

प्लॉट नं.9, प्रथम तल, डी.एच.एल. स्केयर, सेक्टर-22, पंचकुला
Telephone: 0172-4004268 Email: gurdwaraelectionhry@gmail.com

आम सूचना

हरियाणा राज्य में रहने वाले सभी सिखों को इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबन्धक समिति के चुनाव के लिए मतदाता सूची इस कार्यालय द्वारा उपायुक्तों के माध्यम से तैयार करवाई जाएगी। मतदाता सूची तैयार करने के लिए नाम पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र ग्रामीण क्षेत्र में पटवारी, और शहरी क्षेत्र में नगरपालिका समिति / परिषद / निगम के सचिव के पास निःशुल्क उपलब्ध हैं। कोई भी व्यक्ति जो हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबन्धक समिति की मतदाता सूची के लिए अपना नाम पंजीकृत कराना चाहता /चाहती है तो वह उपरोक्त अधिकारी को 01.09.2023 से 30.09.2023 तक अपना आवेदन जमा कर सकता है। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबन्धक समिति की मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए आवश्यक योग्यता निम्नानुसार दी गई है:-

कोई भी व्यक्ति जो-

1. मतदाता के रूप में पंजीकरण के समय पर कम-से-कम पिछले 6 मास से उस वार्ड का सामान्य निवासी है।
2. जो (दिनांक 01.01.2023 को) कम-से-कम 18 वर्ष की आयु का सिख हो।

यह भी सूचित किया जाता है कि जो व्यक्ति पतित हैं या अपनी दाढ़ी या केश काटता है, धूम्रपान करता है, कुथा (हलाल मांस) का प्रयोग करता है या शराब पीता है, बोटर के योग्य नहीं होगा / होगी।

नोट:- दिनांक 21.08.2023 को अमर उजाला, दैनिक भास्कर तथा दैनिक जागरण समाचार पत्रों में इस सम्बन्ध में प्रकाशित विज्ञापन (आम सूचना) को टाईपिंग त्रुटि के कारण वापिस लिया गया समझा जाए।

जस्टिस एच. एस. भल्ला
आयुक्त गुरुद्वारा चुनाव, हरियाणा

PRDH-1147/11/3/2024/20604/1/4/Dt 28/08/2023

अमर उजाला (मंगलवार)

29 August, 2023

Page No-2

कार्यालय आयुक्त गुरुद्वारा निर्वाचन, हरियाणा

प्लॉट नं. 9, प्रथम तल, डी.एच.एल. स्केयर, सैक्टर-22, पंचकुला
Telephone: 0172-4004268 Email: gurdwaraelectionhry@gmail.com

आम सूचना

हरियाणा राज्य में रहने वाले सभी सिखों को इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के चुनाव के लिए मतदाता सूची इस कार्यालय द्वारा उपायुक्तों के माध्यम से तैयार करवाई जाएगी। मतदाता सूची तैयार करने के लिए नाम पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र ग्रामीण क्षेत्र में पटवारी और शहरी क्षेत्र में नगरपालिका समिति / परिषद / निगम के सचिव के पास निःशुल्क उपलब्ध हैं। कोई भी व्यक्ति जो हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति की मतदाता सूची के लिए अपना नाम पंजीकृत कराना चाहता/चाहती है तो वह उपरोक्त अधिकारी को 01.09.2023 से 30.09.2023 तक अपना आवेदन जमा कर सकता है। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति की मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए आवश्यक योग्यता निम्नानुसार दी गई हैं -

- कोई भी व्यक्ति जो-

1. मतदाता के रूप में पंजीकरण के समय पर कम-से-कम पिछले 6 मास से उस वार्ड का सामान्य निवासी है।
2. जो (दिनांक 01.01.2023 को) कम-से-कम 18 वर्ष की आयु का सिख हो। यह भी सूचित किया जाता है कि जो व्यक्ति पतित हैं या अपनी दाढ़ी या केश काटता है, धूम्रपान करता है, कुथा (हलाल मांस) का प्रयोग करता है या शराब पीता है, वोटर के योग्य नहीं होगा / होगी।

नोट- दिनांक 21.08.2023 को अमर उजाला, दैनिक भास्कर तथा दैनिक जागरण समाचार पत्रों में इस सम्बन्ध में प्रकाशित विज्ञापन (आम सूचना) को टाईपिंग त्रुटि के कारण वापिस लिया गया समझा जाए।

जस्टिस एच. एस. भल्ला
आयुक्त, गुरुद्वारा चुनाव,
हरियाणा

1147/11/3/2024/20604/10/4

दैनिक भास्कर (मंगलवार)

29 August, 2023

Page No - 6